

नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 28.03.2008 तथा 09.05.2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय अधीशाषी अभियंता निर्माण खण्ड- प्रथम जे०टी०पी० पी० मलावन-एटा द्वारा एटा रेलवे स्टेशन से 2 X 660 याट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना तक (19.603 कि०मी०) में प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में एटा वन प्रभाग की प्रभावित होने वाली 0.3683 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वन क्षेत्र/संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली आरक्षित व संरक्षित वन भूमि की एन.पी.वी. की गणना निम्न प्रकार है :-

1. संरक्षित वन भूमि -


स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल हे० में	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे० वैल्यू रु० में	कुल वैल्यू रु० में
लोया बादशाहपुर (पीतमसिंह) (नहर बेवर ब्रांच)	संरक्षित वन	0.2328	III	0	6,26,000	145733.00
कीलरमऊ (अलीगंज रोड)		0.1355				84823.00
योग:-		0.3683				230556.00

2. आरक्षित वन भूमि -

क्र०सं०	स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे० वैल्यू रु० में	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शीतलपुर	आरक्षित वन	0.9970	III	0.1	6,26,000	624122.00
2	शीतलपुर		0.3184				199318.40
3	शीतलपुर		1.5682				981693.20
4	शीतलपुर		0.3390				212214.00
5	मटमई		0.6160				385616.00
			3.8386				2402963.60
			योग			OR	2402964.00
			महायोग				2633520.00

नोट: - प्रस्तावित नये रेल नेटवर्क के निर्माण में एटा वन प्रभाग की प्रभावित आरक्षित वन भूमि 3.8386 हे० भूमि के बदले यूजर एजेन्सी द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।


(Ravi Shankar Rajiv)
Executive Engineer


(एस०के०राम)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।